

50 48/c

PRESS CUTTINGS BUREAU

NAME OF PUBLICATION	PLACE OF PUBLICATION	DATE OF PUBLICATION
VIR-ARJUN	NEW DELHI	13 MAY 2008



महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

सुरीय लाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110050

MTNL सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 37ए के अंतर्गत एमटीएनएल में विलियन कर चुके ग्रुप ए व बी के अधिकारियों के लिए पेंशन लाभों के लिए विकल्प अधिसूचित किया जाता है कि पेंशन को नियमित करने हेतु परिपत्र दिनांक 02.04.2008 के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियम, 1992 के नियम 37ए के अंतर्गत एमटीएनएल में विलियन कर चुके ग्रुप ए व बी के सभी अधिकारियों से पेंशन लाभों के लिए एमटीएनएल विकल्प आमंत्रित कर चुका है। विलियन कर चुके और उस समय तक सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी भी विकल्प निष्पादित करने के योग्य होंगे। विकल्प एजीएम (आरईई), कमरा नं. 312, सीसरी मंजिल, सुरीय लाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110050 के पास 30.05.2008 को अथवा उससे पूर्व पहुंच जाने चाहिए। एक बार निष्पादित किए जा चुके विकल्प अंतिम होंगे और उसे वापिस लेने की अनुमति नहीं होगी। विकल्प प्रेपत्र के साथ परिपत्र एमटीएनएल की वेबसाइट <http://mtnlcohr.googlepages.com/home1.html> से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

एमटीएनएल है तो सही है!

3146/c

PRESS CUTTINGS BUREAU

NAME OF PUBLICATION	PLACE OF PUBLICATION	DATE OF PUBLICATION
THE HINDU	NEW DELHI	11 3 MAY 2008



MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED

Khurshid Lal Bhawan, Janpath, New Delhi-110050

Option for Pensionary Benefits for Group A&B Officers Absorbed in MTNL Under Rule 37A, of CCS(Pension) Rules '1972.
It is notified that MTNL vide Circular dated 02.04.2008 has called option for pensionary benefits from all Group A&B officers of MTNL who have taken absorption in MTNL under rule 37A of CCS(Pension) rule '1972 for regulating their pension. Employees so absorbed and since retired will also be eligible to exercise the option. The option shall reach the AGM (REE), Room No. 312, 3rd Floor, Khurshid Lal Bhawan, Janpath, New Delhi-110050 on or before 30.05.2008. Option once exercised will be final and shall not be allowed to be withdrawn. Circular with Option form can be downloaded from MTNL website <http://mtnlcohr.googlepages.com/home1.html>

Transparency makes us different

46 45/c

PRESS CUTTINGS BUREAU

NAME OF PUBLICATION	PLACE OF PUBLICATION	DATE OF PUBLICATION
BASHTRIYA SAHARA	NEW DELHI	13 MAY 2008



महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
खुशीद लाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110050

सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 37ए के अंतर्गत एमटीएनएल में विलियन कर चुके ग्रुप ए व बी के अधिकारियों के लिए पेंशन लाभों के लिए विकल्प अधिसूचित किया जाता है कि पेंशन को नियमित करने हेतु परिपत्र दिनांक 02.04.2008 के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियम, 1992 के नियम 37ए के अंतर्गत एमटीएनएल में विलियन कर चुके ग्रुप ए व बी के सभी अधिकारियों से पेंशन लाभों के लिए एमटीएनएल विकल्प आमंत्रित कर चुका है। विलियन कर चुके और उस समय तक सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी भी विकल्प निष्पादित करने के योग्य होंगे। विकल्प एजीएम (आरईई), कमरा नं. 312, तीसरी मंजिल, खुशीद लाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110050 के पास 30.05.2008 को अथवा उससे पूर्व पहुंच जाने चाहिए। एक बार निष्पादित किए जा चुके विकल्प अंतिम होंगे और उसे वापिस लेने की अनुमति नहीं होगी। विकल्प प्रपत्र के साथ परिपत्र एमटीएनएल की वेबसाइट <http://mtnlcohr.googlepages.com/home1.html> से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

एमटीएनएल है तो सही है!